

पत्रावली पेश हुई वकूलाय अनुपस्थित
दोनों पक्षों को न्यायालय समय तक बारा-बार आवाजे लगावायी गई
परन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुये। अतः पत्रावली को

प. सि. ग. र. अ. अ. अदम हाजरी / अदम पैरवी में खरिज की जाती है।

पत्रावली पौंसाल शुद्ध होकर नम्बर से कम होकर वाहित वास्तु हो।

21/11/19
अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी (राज.)

